

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code, Appendix "d"1)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), चौहटन
पीठासीन अधिकारी :-श्री रणछोड़ लाल (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 76/2022


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भीरा पत्नी पनू जाति भील निवासी रूपनगर (बावड़ी कला) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार चौहटन



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री फताराम गोदारा वादीनी वकील मिनजानिब पेरोकार सरकार प्रतिवादी मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीनी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन की मौका फर्द/रिपोर्ट के आधार पर मौजा रूपनगर पटवार हल्का बावड़ी कला तहसील चौहटन के खेत खसरा नम्बर 230/147 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी मे वादीनी के पति का गलत नाम मनू पुत्र कमाल के स्थान पर पनू पुत्र कमाल दर्ज कर, वादीनी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है, कि वे तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करना सुनिश्चित करें बीज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.11.2025 को जारी की गई।


(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
स(SDO) चौहटन
स(SDO) चौहटन

